भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2830
24 मार्च, 2023 को उत्तर देने के लिए

"एक जिला, एक उत्पाद" योजना

2830. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक कितने जिलों में "एक जिला, एक उत्पाद" योजना लागू की गई है;

(ख) देश के प्रत्येक जिले में इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) सरकार द्वारा इन उत्पादों को बेचने के लिए एक डिजिटल पारितंत्र निर्मित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए देश में कितने 'इन्कयूबेशन सेंटर' और स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं;

(ड.) इस योजना द्वारा वर्ष-वार सृजित किया जाने वाला अपेक्षित राजस्व कितना है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए रोजगार की क्या संभावनाएं हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): 36 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सभी 766 जिलों में से 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 713 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एमओएफ़पीआई) द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय प्रायोजित " प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएम-एफएमई) योजना" के तहत अनुमोदित किया गया है । पश्चिम बंगाल राज्य जनवरी 2023 में इस योजना में भाग लेने के लिए सहमत हो गया है। ओडीओपी को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है। 7 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में नवगठित जिलों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के जिलों के लिए ओडीओपी की सिफारिश संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नहीं की गई है।

(ग): जीआईएस-ओडीओपी डिजिटल मानचित्र एमओएफपीआई द्वारा विकसित किया गया है। 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 710 जिलों के ओडीओपी को इंगित किया गया है। इसके साथ ही, 216 एकीकृत जनजातीय विकास क्षेत्रों, 112 आकांक्षी जिलों और 40% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले 35 जिलों को मानचित्र में दर्शाया गया है। ओडीओपी-जीआईएस https://odop.mofpi.gov.in/odop/ पर उपलब्ध है।

(घ): एमओएफ़पीआई ने पीएमएफ़एमई योजना के तहत 205.95 करोड़ के परिव्यय के साथ देश भर में 76 ऊष्मायन केंद्रों को मंजूरी दी है ताकि मूल्य श्रृंखला में क्षमता निर्माण, नए / अभिनव उत्पाद विकास आदि के लिए मौजूदा / भावी उद्यमियों को सहायता प्रदान की जा सके।

(ङ): पीएमएफएमई योजना के तहत राजस्व सृजन की परिकल्पना नहीं की गई है।

(च): पीएमएफ़एमई योजना देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है जो अन्य बातों के साथ-साथ युवाओं के लिए अवसरों सहित स्थानीय स्तर पर रोजगार की गुंजाइश पैदा करती है।
